कार्यालय भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

नई दिल्ली
फरवरी 03, 2020

प्रेस सार

संघ सरकार (सीमाशुल्क) - अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संसद में प्रस्तुत

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए (2019 की प्रतिवेदन संख्या 17) राजस्व विभाग-सीमाशुल्क पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संसद में प्रस्तुत कर दी गई है। इस प्रतिवेदन में वित्त मंत्रालय के अधीन राजस्व विभाग सीमाशुल्क तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन महानिदेशक विदेश व्यापार की अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम शामिल हैं।

लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए सीमा शुल्क लेनदेन डेटा पर निर्भर करती है कि राजस्व के नुकसान को रोकने के लिए कानूनों को सही तरीके से लागू किया गया है। पैन-इंडिया डेटा तक पूर्ण पहुंच का अभाव लेन-देन की जांच और राजस्व प्राप्तियों को प्रमाणित करने में सीमित आश्वासन के लिए लेखापरीक्षा जांच को सीमित करता है। वर्ष 2017-18 के लिए 67 आयुक्तों में आयात और निर्यात लेनदेन के लिए लेखापरीक्षा द्वारा अपेक्षित आंकड़े सीबीआईसी से बहुत देरी से प्राप्त हुए थे, और वह भी कई अंतराल और कमियों के साथ। पूर्णडेटा की अनुपस्थिति में, 38 आयुक्तों को शारीरिक रूप से दौरा करके क्षेत्र में लेखापरीक्षाकिए गए थे।

इस रिपोर्ट में रु 4795 करोड़ के राजस्व महत्व के 92 पैराग्राफ हैं। रु 368 करोड़ के धन मूल्य सहित 79 पैराग्राफ में, विभाग द्वारा सुधारात्मक कार्रवाई की गई है और रु 18 करोड़ की वसूली अभी तक की जा चुकी है।

इस रिपोर्ट में शामिल महत्वपूर्ण निष्कर्ष निम्नलिखित पैराग्राफ में उल्लिखित हैं:

I. वित्तीय वर्ष 18 के दौरान, लेखापरीक्षा ने 2715 आपत्तियों और रु 1363 करोड़ के राजस्व निहितार्थ सहित संबंधित कमिश्नरियों/प्रादेशिक लाइसैंसिंग प्राधिकरणों को 479 निरीक्षण रिपोर्ट जारी की। इन लेखापरीक्षा आपत्तियों में से वित्तीय वर्ष 18 के

दौरान पाये गये रु 590 करोड़ के राजस्व निहितार्थ वाली 91 लेखापरीक्षा आपत्तियों को इस रिपोर्ट में शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के लाइसेंस धारकों द्वारा निर्धारित निर्यात दायित्वों को पूरा नहीं करने के संबंध में रु 4205 करोड़ के धन मूल्य से जुड़े एक लंबे पैराग्राफ को उजागर किया गया था।

(पैराग्राफ 2.5.1, 2.5.2 और 5.2)

II. भारतीय सीमाशुल्क इडीआई प्रणाली (आईसीईएस) में सीमाशुल्क जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस) आधारित मंजूरी के अंतर्गत प्रणाली के द्वारा वस्तुओं के आयात के लिए प्रवेश के बिलों को मंजूरी दी जा रही है। नमूना जांच में यह भी पाया गया था काफी एंट्री बिलों के अंतर्गत प्रभावित आयातों में आरएमएस, एंटी डंपिंग ड्यूटी(एडीडी) की विशिष्ट परिस्थितियों को जानने में रही थी।

उद्ग्रहण से बचने की कई घटनायें और एंटी-डंपिंग शर्तों की अननुपालना की घटनाऐं परिणामस्वरूप रु 86.69 करोड़ की एंटी-डंपिंग ड्यूटी राशि का गैर/कम उद्ग्रहण किया गया था। विभाग ने रु 53 करोड़ की राशि की आपत्तियां स्वीकृत की और रु 1.20 करोड़ की वसूली की सूचना दी।

(पैराग्राफ 3.1 से 3.6)

III. लेखापरीक्षा में आयातित माल के गलत वर्गीकरण, सामान्य छूट का गलत लागू करना और लागू उद्ग्रहण और अन्य प्रभारों के गलत उद्ग्रहण के कारण लागू सीमा शुल्कों के निर्धारणों के अंतर्गत 49 मामले पाये गये थे जिसके परिणामस्वरूप रु 88.42 करोड़ का राजस्व जोखिमपूर्ण था।

(पैराग्राफ 4.1 से 4.11)

IV. लेखापरीक्षा की सिफारिशों पर सरकार के आश्वासनों के बावजूद, पहले किए गए ईपीसीजी लाइसेंसों के नियंत्रण और निगरानी तंत्र में कोई पर्याप्त सुधार नहीं हुआ था। निर्यातकों/आयातकों जिन्होंने ईपीसीजी योजना के लाभ प्राप्त किये थे परंतु निर्दिष्ट निर्यात बाध्यता/शर्तें पूरी नहीं की थी, से रु 306 करोड़ का राजस्व बकाया था।

(पैराग्राफ 5.3 से 5.3.5)

इसके अतिरक्त, विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत जारी किये गये लाईसेंसों के 39 मामलों में, नमूना जांच में घरेलू टैरिफ क्षेत्र में निर्यात बाध्यता के निर्धारण, प्रतिबंधित

माल की निकासी में अनियमिततायें पाई गई, जिसके परिणामस्वरूप शुल्क छूट/प्रेषण योजनाओं आदि के लाभ प्राप्त हुये। शुल्क छूट योजनाओं के लाभ प्राप्त करने वाले परंतु निर्दिष्ट बाध्यता/शर्तें पूरी न करने वाले निर्यातकों/आयातकों से रु 40.51 करोड़ का राजस्व बकाया था।

(पैराग्राफ 5.4 से 5.4.5)

V. सांताक्रूज इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र (एसईईपीजेड), विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड), प्राधिकरण द्वारा प्रमुख निर्माण कार्यों को प्रदान करने में अनियमितताएं मरम्मत और अनुरक्षण कार्य के लिए प्राधिकरण द्वारा बाह्य एजेंसियों को आऊट सोर्स किया जा रहा है, वह लेखापरीक्षा द्वारा इंगित कमजोर प्रशासनिक, वित्तीय और आंतरिक नियंत्रणों का द्योतक हैं। इसमें रु 67.91 करोड़ का व्यय शामिल है।अनुमोदन के बिना अतिरिक्त कार्य आदेश जारी करने और सांविधिक प्राधिकरणों से आवश्यक मंजूरियों के अभाव के कारण इकाईयों के निर्धारण के निरस्तीकरण के मामले एसईईपीजैड प्राधिकरण की कार्य प्रणाली की कमी है और उच्चतम स्तर से इन्हें दूर किये जाने की आवश्यकता है।

(पैराग्राफ 6.2.1 से 6.2.4)

BSC/SS/TT